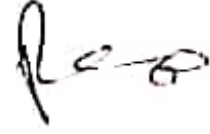


1148/D-8/उत्तर

14.5.19

सेवा में,

प्रमारी अधिकारी,  
संयुक्त कार्यालय कृते जिलाधिकारी,  
रामपुर।



विषय: ग्राम भमरीआ, तहसील सदर, जनपद रामपुर के गाटा सं० 31, पर मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बरेली के किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के स्थापनार्थ चाही गयी आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक 636/न्याय सहायक-द्वितीय दिनांक 09.02.2019 का सदर्थ लेने का कष्ट करें। उक्त सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल ग्राम भमरीआ, तहसील सदर, जनपद रामपुर के गाटा सं० 31, पर मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बरेली के किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु आख्या चाही गयी है, के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 28.04.2019 को स्थलीय निरीक्षण कराया गया। आख्यानसार रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) का जिला प्रशासन से जारी की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तें अधिसूचित किया जाना उचित होगा:-

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में भण्डारण से किसी प्रकार का उत्प्रेषण एवं उत्सर्जन जनित नहीं किया जाएगा।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में डी.जी. सट के एकास्टिक एन्वेलोप्सर एवं एग्जास्ट की चिमनी की ऊंचाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में अधिसूचित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(अजय शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

  
कुमार विभाष  
वरिष्ठ संचालक (रिटेल सेल्स)  
इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)  
बरेली मंडल कार्यालय  
ज. 7, विधित लाइन्स, कमला नेहरू मार्ग,  
बरेली-223001 (उ०प्र०)

प्रमारी अधिकारी, संयुक्त कार्यालय कृते जिलाधिकारी, रामपुर के पत्रांक 838/न्याय सहायक-द्वितीय दिनांक 08.02.2019 के संदर्भ में ग्राम भमरौआ, तहसील सदर, जनपद रामपुर के गाटा सं० 31, पर मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बरेली के किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापनार्थ चाही गयी आख्या के सम्बन्ध में -

उपरोक्त संदर्भित स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 28.04.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री दिनेश गौतम पुत्र श्री धर्मपाल सिंह प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

1. प्रस्तावित स्थल पर इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बरेली के किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
2. उक्त प्रस्तावित स्थल के दक्षिण दिशा में ग्राम भमरौआ दूरी लगभग 400 मीटर व रामपुर-कैमरी रोड, पश्चिम दिशा में ग्राम पहाडी, दूरी लगभग 500 मीटर, पूरब-दक्षिण दिशा में ग्राम भमरौआ मझरा दूरी लगभग 200 मीटर स्थित है।
3. प्रस्तावित स्थल रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपयुक्त प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित पेट्रोल पम्प को जिला प्रशासन से जारी की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित किया जाना उचित होगा:-

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में भण्डारण से किसी प्रकार का उत्प्रवाह एवं उत्सर्जन जनित नहीं किया जाएगा।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में डीजी सेट के एकास्टिक एन्वेलोजर एवं एग्जास्ट की चिमनी की ऊंचाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में अधिसूचित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्तानुसार आख्या आपके अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(राजीव कुमार)  
अनु०सहा०

सहा०वैज्ञा०अधि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय



1.5.18.18



कुमार विभाष

संयुक्त अध्यक्ष (रिटेल सेवा)

इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)

बरेली मंडल कार्यालय

35-ए, रिटेल लाईन्स, कमला नेहरू मार्ग,  
बरेली-243001 (उ०प्र०)